अनुदान संख्या 40 – भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
GRANT No. 40–INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*39,98,00*	*39,06,06*	*–91,94*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,36,61*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	1218,49,00	1231,47,00	1228,89,19	–2,57,81
पूरक	Supplementary	12,98,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		2,11,00	..	–2,11,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,46,52

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, अभ्यर्पित राशि (*136.61 लाख रु.*) *91.94 लाख रु.* की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the amount surrendered (*Rs.136.61 lakhs*) exceeded the overall savings of *Rs.91.94 lakhs.*

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2016" लेखा परीक्षा	Major Head "2016" Audit				
मू.	*O.*	*3998.00*	*3861.39*	*3906.06*	*+44.67*
पु.	*R.*	*–136.61*			

(I) *"भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - मुख्यालय कार्यालय''* के अंतर्गत *140.03 लाख रु.* की बचत *(3506.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, नगर निगम, गाजियाबाद से कम बिलों के प्राप्त होने और विदेश मंत्रालय से समायोजन दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "*Comptroller and Auditor General of India - Headquarters Office" –* saving of *Rs.140.03 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.3506.00 lakhs*) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of lesser bills from Nagar Nigam, Ghaziabad and non-receipt of adjustment claims from Ministry of External Affairs.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (257.81 लाख रु.) मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 1298.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 20 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.257.81 lakhs) constituted 20 percent of the supplementary grant of Rs.1298.00 lakhs obtained in March, 2008 and half percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2016'' लेखा परीक्षा	Major Head "2016" Audit				
मू.	O.	121849.00	123147.00	122889.19	–257.81
पू.	S.	1298.00			

(I) ''सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय - सिविल लेखा कार्यालय'' के अंतर्गत 46799.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 400.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 47199.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 938.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के भरे न जाने, चिकित्सा उपचार पर कम व्यय होने, कम दौरे किए जाने और सूचना प्रौद्योगिकी की खरीद के प्रस्तावों के मूर्त रूप न लिये जाने के कारण हुई।

(I) Under "Civil Audit and Accounts Offices - Civil Accounts Offices" – the original provision of Rs.46799.00 lakhs was augmented to Rs.47199.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.400.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.938.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, lesser expenditure on medical treatment, lower number of tours undertaken and non-materialisation of proposals for IT purchases.

(II) ''सिविल लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय - सिविल लेखा परीक्षा कार्यालय'' के अंतर्गत 56558.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 898.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 57456.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो कम दौरे किए जाने, किराए पर दिए गए परिसरों को खाली किए

(II) Under "Civil Audit and Accounts Offices - Civil Audit Offices" – the original provision of Rs.56558.00 lakhs was augmented to Rs.57456.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.898.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.322.69 lakhs - due

जाने और सेवाओं को बाहरी स्रोतों से कराए जाने की कम आवश्यकता होने के कारण 322.69 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

to less tours, de-hiring of rented premises and lower requirement of outsourced services.

(III) ''रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालय'' के अंतर्गत 167.70 लाख रु. की बचत (2646.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और सूचना प्रौद्योगिकी खरीदों संबंधी प्रस्तावों के मूर्त रूप न लिये जाने के कारण हुई।

(III) Under "Defence Audit Offices" - saving of Rs.167.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2646.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-materialisation of proposals for I.T. purchases.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(I) ''डाक और दूरसंचार लेखा परीक्षा कार्यालय'' - 255.63 लाख रु. का अधिक व्यय (3676.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन एवं भत्तों, विद्युत एवं जल प्रशुल्क में वृद्धि होने और अधिक दौरा कार्यक्रम किए जाने के कारण हुआ।

(I) "Posts and Telecommunication Audit Offices" – excess of Rs.255.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3676.00 lakhs) was due to increase in pay and allowances, electricity and water tariff and more tour programmes.

(II) ''रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय'' - 436.27 लाख रु. का अधिक व्यय (6035.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को सीधी भर्ती, अन्य अनुषंगी कार्यालयों से एकपक्षीय स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने और अधिक दौरे किए जाने के कारण हुआ।

(II) "Railway Audit Offices" - excess of Rs.436.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6035.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts through direct recruitment, unilateral transfers/deputations from other sister offices and more tours undertaken.

(III) ''वाणिज्यिक लेखा परीक्षा'' - 371.58 लाख रु. का अधिक व्यय (4558.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने, अधिक दौरे किए जाने और विद्युत और जल प्रभारों पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

(III) "Commercial Audit Offices" - excess of Rs.371.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4558.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts through direct recruitment, more tours undertaken and more expenditure on electricity and water charges.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 59.49 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत था।

(IV) Under one head excess of Rs.59.49 lakhs occurred constituting 26 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

4. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving–
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	161.00	64.48	. .	–64.48
पु.	R.	–96.52			

(I) 211.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 161.00 लाख रु. अकेले ''सरकारी रिहायशी भवन - भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास स्कीम - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण'' के अंतर्गत ऐजवाल, इटानगर और शिवपुरी में रिहायशी क्वार्टरों के लिए भूमि की खरीद संबंधी प्रस्ताव के मूर्तरूप न लेने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.211.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.161.00 lakhs alone accounted for under "Government Residential Buildings - Housing Scheme for employees of IA & AD - Acquisition of ready built flats" - due to non-materialisation of proposal for purchase of land for residential quarters at Aizawal, Itanagar and Shivpuri.